

सं. ए-60011/12/2019-एमई/ट्रेनिंग
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011


दिनांक: 16 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

यह मंत्रालय अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एवं पीएच), कोलकाता में ड्राफ्टसमैन के मौजूदा पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां आधोहस्ताक्षरी को कक्ष सं. 503-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 में प्रस्तुत की जा सकती है और सॉफ्ट कॉपी kimar.pranav@nic.in पर भेजी जा सकती है।


16/9/19
(कुमार प्रणव)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 011-23061881

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध ड्राफ्टसमैन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में ड्राफ्टसमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता- ड्राफ्टसमैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान- उक्त पदों की संख्या, और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता – वह व्यक्ति –
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
 - (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अनुसूची पद का नाम	पदों की संख्या 1 (एक)*	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7
ड्राफ्ट्समैन	4 (चार) *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4 (रु. 25500-56800/-)	लागू नहीं होता	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	क. अनिवार्य: मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा तथा सेनेटरी अथवा सिविल इंजीनियरिंग कार्य और सर्वेक्षण का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अहताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अहता लिखित में दर्ज किए जाने

					वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।				भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)			(10)	
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए)			100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: (पुष्टि हेतु प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष 2) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य 3) निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित एक वरिष्ठ ग्रुप 'क' अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं।

सं. ए-60011/12/2019-एमई/ट्रेनिंग

संयुक्त सचिव, भारत सरकार